



प्रेस नोट - दिनांक 17.10.2024

थाना औरास, जनपद उन्नाव

-जाली नोटों को छापने व तस्करी करने वाले गिरोह को थाना औरास जनपद उन्नाव पुलिस ने किया गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय बांगरमऊ के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना औरास पुलिस एवं एसओजी टीम द्वारा जाली नोटों की मैन्युफैक्चरिंग व सप्लाई करने वाले दो अभियुक्तों को मय जाली नोट व उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 17.10.2024 को प्र०नि० श्री अश्वनी कुमार मिश्र, व०उ०नि० श्री इरशाद अली, उ०नि० इरफान अहमद, उ०नि० श्री वीरेन्द्र कुमार यादव मय हमराह फोर्स एवं प्र०नि० श्री जय प्रकाश यादव मय एसओजी टीम द्वारा रहीमाबाद रोड पर कटरा तरौना पुल के पास संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनो की चेकिंग के दौरान एक सफेद रंग की कार स्विफ्ट डिजायर नं० UP 32 KS 8444 को रोककर कार सवार 1. मो०शोएब उम्र 41 वर्ष पुत्र मो० शरीफ निवासी ग्राम तिलोइया कला थाना सण्डीला जनपद हरदोई 2. फुरकान उम्र करीब 43 वर्ष पुत्र स्व० रसूलबक्श निवासी तकिया रहीमाबाद थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ की जामा तलाशी ली गई तो अभियुक्तगण के कब्जे से 500 रु० के 394 जाली नोट, दो अदद मोबाइल बरामद हुए कार की तलाशी लेने पर कार में डेस्क बोर्ड से 100 रु० के 988 जाली नोट बरामद हुए तथा कार की डिग्गी खोलकर देखा गया डिग्गी के अन्दर एक अदद प्रिन्टर EPSON L8180, JIO वाईफाई मोडम, एक अदद ASUS मानिटर, एक अदद SAMSUNG CPU व एक अदद पेपर कटर,पेपर ए३ साइज 3 रिम, पेपर A4 साइज 1 रिम, लैपटाप एचपी 01 अदद, कैंची एक अदद, पटरी लोहे की 12 इंची बरामद हुए।

पूछताछ में अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि वह लोग प्रिन्टर कागज व कम्प्यूटर / लैपटाप आदि उपकरणों की मदद से 500 रु० व 100 रु० के जाली नोट तैयार करते हैं तथा उसे घूम फिर कर अपने जनपद व अन्य शहरों में फुटकर के रूप में दुकान से सामान लेकर चलाते हैं या ज्यादा रुपयों के बीच में नकली नोट लगाकर चला देते हैं जिससे हम लोगो को काफी फायदा होता है। यह काम हम लोग दुबग्गा मंडी के आगे सीतापुर बाइपास से पहले लखनऊ के हाजी सलीम के काम्पलैक्स में कमरा लेकर चुपके से कर रहे थे। लोगों को शंका करने पर तैयार किये गये 500 व 100 रु० के जाली नोट व नोट छापने से संबन्धित उपकरण गाड़ी में रखकर अपने साथी फुरकान के घर रहीमाबाद जा रहे थे, तभी रास्ते में पुलिस चेकिंग देखकर मुड़ने लगे परन्तु आप लोगों ने हमें पकड़ लिया। साहब लालच में आकर हमने यह कार्य किया है, हमसे गलती हो गई। हमारे पास 500 रु० के 394 जाली नोट व 100 रु० के 988 जाली नोट है तथा नोट छापने के उपकरण कार की डिग्गी में थे जो आपने बरामद किये हैं।

बरामद शुदा सभी नोटो पर एक ही सीरीज नम्बर अंकित होने से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगणों के कब्जे से बरामद नोट जाली मुद्रा है। उक्त कृत्य मे अभियुक्तगण द्वारा भारतीय अर्थ व्यवस्था को कमजोर करने मे भारतीय जाली मुद्रा का प्रयोग किया जा रहा था तथा जाली नोटो के विमुद्रीकरण के सन्दर्भित जाली भारतीय नोट की विभिन्न प्रयोगों मे आपूर्ति की जा रही थी। उपरोक्त कृत्य बीएनएस की धारा 179/180/181 का दंडनीय अपराध है। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर थाना औरास पर मु0अ0सं0 259/24 धारा 179/180/181 बीएनएस पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. मो०शोएब उम्र 41 वर्ष पुत्र मो० शरीफ निवासी ग्राम तिलोइया कला थाना सण्डीला जनपद हरदोई
2. फुरकान उम्र करीब 43 वर्ष पुत्र स्व० रसूलबक्श निवासी तकिया रहीमाबाद थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ

बरामदगी का विवरण-

1. 500 रु० के 394 जाली नोट व 100 रु० के 988 जाली नोट (कुल 2 लाख 95 हजार 800 रु०),
2. एक अदद प्रिन्टर EPSON L8180,
3. JIO वाईफाई मोडम,
4. एक अदद ASUS मानिटर,
5. एक अदद SAMSUNG CPU
6. एक अदद पेपर कटर,
7. पेपर ए3 साइज 3 रिम व पेपर A4 साइज 1 रिम,
8. लैपटाप एचपी 01 अदद ,
9. कैची एक अदद, पटरी लोहे की 12 इंची
10. एक स्विफ्ट डिजायर कार बरामद

गिरफ्तारी करने वाल टीम-

प्र०नि० श्री अश्वनी कुमार मिश्र,
SSI श्री इरशाद अली
SI श्री राम मोहन सिंह
SI श्री वीरेन्द्र कुमार यादव
HC उपेन्द्र कुमार पटेल
HC त्रिवेणी प्रताप सिंह
HC संजय कुमार
का० भानू प्रताप
का० अमित कुमार
म०का० नूतन चौहान

एसओजी टीम-

प्र०निरी० श्री जयप्रकाश यादव (एसओजी टीम)
उ०नि० श्री ज्ञान सिंह (एसओजी टीम)
हे०का० सतेन्द्र सिंह (एसओजी टीम)

हे0का0 सुनील यादव (एसओजी टीम)
हे0का0 आशीष मिश्रा(एसओजी टीम)
का0 रविकुमार(एसओजी टीम)
का0 गौरव कुमार(एसओजी टीम)
का0 विकास भदौरिया(एसओजी टीम)
का0 नितीश याद(एसओजी टीम)
का0 यशवीर(एसओजी टीम)
का0 हरीश बालियान(एसओजी टीम)
का0 शुभम तोमर(एसओजी टीम)





प्रेस नोट - दिनांक 17.10.2024

थाना सफीपुर, जनपद उन्नाव

**-ई रिक्शा व उसकी बैटरियां चोरी करने वाला गिरोह चढ़ा पुलिस के हत्थे
-दो अभियुक्त गिरफ्तार, दो चोरी के ई रिक्शा व 12 बैटरियां बरामद**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सफीपुर पुलिस एवं स्वाट टीम द्वारा दो अभियुक्तों को चोरी के दो ई रिक्शा व 12 बैटरियां बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 17.10.2024 को प्रभारी निरीक्षक सफीपुर श्याम नारायण सिंह व उ0नि0 कल्लूराम यादव मय हमराह पुलिस बल एवं प्र0नि0 श्री जय प्रकाश यादव स्वाट टीम मय हमराह टीम के संयुक्त प्रयास से मुखबिर की सूचना पर फाजिलपुर मोड़ के पास से अभियुक्तगण 1. नूर आलम S/O नवी अहमद R/O ग्रा0 हड़हा थाना अचलगंज जिला उन्नाव उम्र 45 वर्ष 2. नादिश उर्फ दानिश S/O मुन्ना उम्र 28 वर्ष नि0 मो0 सोहरवा तालाब कस्बा व थाना सफीपुर जिला उन्नाव व वर्तमान पता मो0 करबला शुक्लागंज थाना गंगाघाट जिला उन्नाव के कब्जे से 02 अदद चोरी के ई रिक्शा नं0 UP30DT2682 व UP78GN6227 व 12 अदद चोरी की बैट्री (संबन्धित सम्बन्धित मु0अ0सं0 266/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस) बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. नूर आलम S/O नवी अहमद R/O ग्रा0 हड़हा थाना अचलगंज जिला उन्नाव उम्र 45 वर्ष
2. नादिश उर्फ दानिश S/O मुन्ना उम्र 28 वर्ष नि0 मो0 सोहरवा तालाब कस्बा व थाना सफीपुर जिला उन्नाव व वर्तमान पता मो0 करबला शुक्लागंज थाना गंगाघाट जिला उन्नाव

बरामदगी का विवरण-

02 अदद चोरी के ई रिक्शा नं0 UP30DT2682 व UP78GN6227 व 12 अदद चोरी की बैट्री

अपराधिक इतिहास अभियुक्त नूर आलम -

1. मु0अ0सं0 284/22 धारा 328, 379, 411, 413 भादवि थाना माखी
2. मु0अ0सं0 381/22 धारा 328, 379, 411 भादवि थाना अजगैन
3. मु0अ0सं0 408/22 धारा 41, 411 थाना अजगैन
4. मु0अ0सं0 266/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस

अपराधिक इतिहास अभियुक्त नादिश उर्फ दानिश-

1. मु0अ0सं0 140/22 धारा 379/411/420 भादवि थाना अजगैन
2. मु0अ0सं0 206/22 धारा 379/411/328 भादवि थाना औरास
3. मु0अ0सं0 284/22 धारा 328, 379, 411, 413 भादवि थाना माखी
4. मु0अ0सं0 381/22 धारा 328, 379, 411 भादवि थाना अजगैन
5. मु0अ0सं0 406/22 धारा 3/25 ए एक्ट थाना अजगैन

6. मु0अ0सं0 408/22 धारा 41, 411 थाना अजगैन
7. मु0अ0सं0 01/23 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना अजगैन
8. मु0अ0सं0 266/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस

गिरफ्तारी करने वाल टीम-

प्र0नि0 श्यामनारायण सिंह
उ0नि0 कल्लूराम यादव
उ0नि0 अनुपम सिंह भदौरिया
का0 मुकेश मौर्या
का0 राघवेन्द्र गुर्जर
का0 गौरव कुमार

स्वाट टीम-

निरीक्षक जयप्रकाश यादव प्रभारी स्वाट
उ0नि0 ज्ञान सिंह (स्वाट)
मु0आ0 सुनील कुमार (स्वाट)
मु0आ0 सत्येन्द्र (स्वाट)
मु0आ0 आशीष मिश्रा (स्वाट)
का0 रवि कुमार (स्वाट)
का0 गौरव कुमार (स्वाट)
का0 विकास भदौरिया (स्वाट)
का0 यशवीर सिंह (स्वाट)
का0 नितीश कुमार (स्वाट)
का0 हरेश बालियान (स्वाट)
का0 शुभम तोमर (स्वाट)





प्रेस नोट - दिनांक 17.10.2024

थाना सोहरामऊ, जनपद उन्नाव

दुष्कर्म व सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का वांछित तथाकथित पत्रकार गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सोहरामऊ पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग व सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने में वांछित तथाकथित पत्रकार गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 16.10.2024 को मुकदमा वादिनी की तहरीर पर थाना सोहरामऊ पर मु0अ0सं0-203/2024 धारा 323,504,452,376,506 भादवि बनाम 1. मो0 अरमान पुत्र मो0 उस्मान आदि 03 नफर अभियुक्तगण के विरुद्ध पंजीकृत हुआ है। जिसकी विवेचना व0उ0नि0 श्री नरेन्द्र प्रताप द्वारा सम्पादित करते हुए आज दिनांक-17.10.2024 को वांछित अभियुक्त मो0 अरमान पुत्र मो0 उस्मान नि0 ग्राम सहरावां थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव जो थाना सोहरामऊ का हिस्ट्रीशीटर क्रमांक A-210 भी है, को रसूलपुर मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। उल्लेखनीय है कि दिनांक 16.10.2024 को अभियुक्त उपरोक्त द्वारा कोतवाली सदर उन्नाव में धार्मिक उन्माद फैलाने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से व्हाट्सएप व ट्विटर पर खबर वायरल की गयी थी, जिस सम्बन्ध में थाना कोतवाली सदर में मु0अ0सं0 746/2024 धारा 353(2)/132 बीएनएस व 67 आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अभियुक्त मो0 अरमान पुत्र मो0 उस्मान नि0 ग्राम सहरावां थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव

अपराधिक इतिहास-

1. एनसीआर नं0 30/2004 धारा 323/504/506 भादवि थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव।
2. एनसीआर नं0 81/2016 धारा 323/427 भादवि थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव।
3. मु0अ0सं0 655/2012 धारा 452/323/504/506 भादवि थाना मौरावां जनपद उन्नाव।
4. मु0अ0सं0 79/2019 धारा 302/201/392 भादवि थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव।
5. मु0अ0सं0 161/2019 धारा 147/148/149/323/504/506 भादवि व 3(1) द ध SC/ST ACT व 29/30 A ACT थाना असोहा जनपद उन्नाव।
6. मु0अ0सं0 184/2019 धारा 147/323/504/506 भादवि थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव।
7. मु0अ0सं0 831/2023 धारा 341/354/504/506 भादवि थाना कोतवाली सदर उन्नाव
8. मु0अ0सं0 202/2024 धारा 303(2)/324(4)/329(3)/352/351(2) बीएनएस थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव
9. मु0अ0सं0 746/2024 धारा 353(2)/132 बीएनएस व 67 IT ACT थाना कोतवाली सदर उन्नाव।
10. मु0अ0सं0 203/2024 धारा 323/504/452/376/506 भादवि थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव।

गिरफ्तारी करने वाला टीम-

1. व0उ0नि0 श्री नरेन्द्र प्रताप थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव ।
2. उ0नि0 श्री मो0 असलम थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव ।
3. का0 राजेन्द्र सिंह थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव ।





प्रेस नोट - दिनांक 17.10.2024

थाना फतेहपुर चौरासी, जनपद उन्नाव

अवैध तमंचे के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना फतेहपुर चौरासी पुलिस द्वारा एक अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमन्चा 12 बोर मय एक अदद कारतूस 12 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 16.10.2024 को उ0नि0 श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराह पुलिस बल द्वारा अभियुक्त दयाशंकर उर्फ दयालू पुत्र ओमप्रकाश निषाद निवासी ग्राम हरदासपुर थाना फतेहपुर चौरासी जनपद उन्नाव उम्र करीब 25 वर्ष को कब्जे से एक अदद तमन्चा 12 बोर, एक अदद कारतूस 12 बोरामद कर ग्राम माखनखेड़ा तिराहा से गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना फतेहपुर चौरासी पर मु0अ0सं0 299/24 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

दयाशंकर उर्फ दयालू पुत्र ओमप्रकाश निषाद निवासी ग्राम हरदासपुर थाना फतेहपुर चौरासी जनपद उन्नाव उम्र करीब 25 वर्ष

बरामदगी का विवरण

एक अदद तमन्चा 12 बोर , एक अदद कारतूस 12 बोर

आपराधिक इतिहास

- 1.मु0अ0सं0 278/2023 धारा- 380/411 भादवि थाना फतेहपुर चौरासी जनपद उन्नाव
- 2.मु0अ0सं0 299/24 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फतेहपुर चौरासी जनपद उन्नाव ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

- 1.उ0नि0 श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह
- 2.का0 आकाश सिंह
- 3.हो0गा0 सन्तोष





प्रेस नोट, दिनांक 17.10.2024

थाना माखी जनपद उन्नाव

दुष्कर्म का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना माखी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 17.10.2024 को थानाध्यक्ष संदीप मिश्रा मय हमराह पुलिस फोर्स द्वारा थाना मांखी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 280/24 धारा 64(1)/351(2)/333/352 बीएनएस से संबन्धित वांछित अभियुक्त विशाल पुत्र राजकुमार यादव निवासी ग्राम माखी थोक सराय थाना माखी जिला उन्नाव उम्र करीब 22 वर्ष को ड्राइबर ढावा उन्नाव हरदोई मार्ग से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

विशाल पुत्र राजकुमार यादव निवासी ग्राम माखी थोक सराय थाना माखी जिला उन्नाव उम्र करीब 22 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाल टीम-

- 1.थानाध्यक्ष संदीप कुमार मिश्रा
- 2.का0 राजू





प्रेस नोट, दिनांक 17.10.2024

थाना माखी, जनपद उन्नाव

पाँच वारंटी अभिक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना माखी पुलिस द्वारा पाँच वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 17.10.2024 को उ0नि0 श्री रामप्रताप सिंह मय हमराह पुलिस फोर्स द्वारा वारंटी अभियुक्तगण- केश नं0 5365/22 अ0सं0- 953/09 धारा 60 EX Act में वारंटी अभियुक्त दौलत उर्फ टुन्ना पुत्र बुद्धा पथरकट नि0 ग्राम नटपुरवा थाना माखी उन्नाव 2. केश नं0 6313/22 धारा 379/411 भादवि में वारंटी अभियुक्त राजपूत सिंह पुत्र रामबरन सिंह नि0 ग्राम बरभौला थाना माखी उन्नाव 3. केस संख्या 4926/22 धारा 279/337/338 भादवि में वारंटी अभियुक्त लाला पुत्र छोटकऊ नि0 ग्राम मखारा थाना माखी उन्नाव 4. केस संख्या 8419/22 धारा 325/324 भादवि में वारंटी अभियुक्त छोटेलाल उर्फ छुट्टन पुत्र कल्लू पासी नि0 ग्राम भडुवा थाना माखी उन्नाव 5. अ0सं0-459/023 धारा 8/20 NDPS Act में वारंटी अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार सैनी पुत्र हरिशंकर नि0 ग्राम पटियारा थाना माखी उन्नाव को घर से गिरफ्तार किया गया

अभियुक्तगण का विवरण-

1. दौलत उर्फ टुन्ना पुत्र बुद्धा पथरकट नि0 ग्राम नटपुरवा थाना माखी उम्र करीब 48 वर्ष
2. राजपूत सिंह पुत्र रामबरन सिंह नि0 ग्राम बरभौला थाना माखी उन्नाव उम्र करीब 37 वर्ष
3. लाला पुत्र छोटकऊ नि0 ग्राम मखारा थाना माखी उन्नाव
4. छोटेलाल उर्फ छुट्टन पुत्र कल्लू पासी नि0 ग्राम भडुवा थाना माखी उन्नाव
5. धर्मेन्द्र कुमार सैनी पुत्र हरिशंकर नि0 ग्राम पटियारा थाना माखी उन्नाव उम्र करीब 34 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. उ0नि0 रामप्रताप सिंह ,
2. उ0नि0 दिनेश चन्द
3. उ0नि0 सुभाष चन्द्र
4. का0 ध्रुवचन्द
5. का0 दिशान्त चौधरी
6. का0 अशोक कुमार





प्रेस नोट, दिनांक 17.10.2024

थाना गंगाघाट, जनपद उन्नाव

अवैध पटाखों के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना गंगाघाट पुलिस द्वारा अवैध पटाखों के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 17.10.2024 को उ0नि0 श्री कृष्णकान्त सिंह मय हमराह पुलिस फोर्स द्वारा अभियुक्त ताराबाबू पुत्र स्व0 मोहम्मद तलीफ उम्र करीब 32 वर्ष नि0 गौसपुरा जामा मस्जिद राजधानी मार्ग शुक्लागंज थाना गंगाघाट उन्नाव के कब्जे से अवैध विस्फोटक पदार्थ के 14 डिब्बा- Magic Papar SHOT (पटाखा) 12 डिब्बा LE Pard king पटाखा 04 पैकेट बडे प्रति पैकेट 20 पीस कलर फुलझड़ी, 50 डिब्बा बड़ी फूलझड़ी, 10 डिब्बों में मेहताब, 3 डिब्बा विंग जवान पटाखा, 01 डिब्बा राउण्ड-चक्कर काप, अग्रवाल फुलझड़ी 03 डिब्बा बरामद कर गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना गंगाघाट द्वारा मु0अ0सं0 440/2024 धारा 5/9ख विस्फोटक पदार्थ अधिनियम पंजीकृत किया गया।


बरामदगी - 14 डिब्बा- Magic Papar SHOT (पटाखा), 12 डिब्बा LE Pard king पटाखा, 04 पैकेट बडे प्रति पैकेट, 20 पीस कलर फुलझड़ी, 50 डिब्बा बड़ी फूलझड़ी, 10 डिब्बों में मेहताब, 3 डिब्बा विंग जवान पटाखा, 01 डिब्बा राउण्ड-चक्कर काप, अग्रवाल फुलझड़ी 03 डिब्बा

अभियुक्त का विवरण-

ताराबाबू पुत्र स्व0 मोहम्मद तलीफ उम्र करीब 32 वर्ष नि0 गौसपुरा जामा मस्जिद राजधानी मार्ग शुक्लागंज थाना गंगाघाट उन्नाव

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. उ0नि0 कृष्णकान्त सिंह
2. का0 अम्बरीश कुमार
3. का0 इमरान खान
4. का0 नितिन चौधरी





प्रेस नोट, दिनांक 17.10.2024

थाना सफीपुर, जनपद उन्नाव

अवैध पटाखों के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सफीपुर पुलिस द्वारा अवैध पटाखों के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 17.10.2024 को उ0नि0 अनुपम सिंह भदौरिया मय हमराह पुलिस फोर्स द्वारा अभियुक्त हसीन अहमद पुत्र कल्लू निवासी कजियाना कस्बा व थाना सफीपुर जनपद उन्नाव उम्र करीब 58 वर्ष के कब्जे से 03 अदद प्लास्टिक की पन्नी में अवैध आतिशबाज पटाखे बरामद कर हसीन फायर वर्क दुकान से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना सफीपुर द्वारा मु0अ0स0 267/2024 धारा 9 ख विस्फोटक अधि0 1884 पंजीकृत किया गया।

बरामदगी - 03 अदद प्लास्टिक की पन्नी में अवैध आतिशबाज पटाखे

अभियुक्त का विवरण-

हसीन अहमद पुत्र कल्लू निवासी कजियाना कस्बा व थाना सफीपुर जनपद उन्नाव उम्र करीब 58 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम

उ0नि0 अनुपम सिंह भदौरिया

का0 राघवेन्द्र गुर्जर

का0 मुकेश मौर्या





प्रेस नोट, दिनांक 17.10.2024

थाना मौरावा, जनपद उन्नाव

अवैध आतिशबाजी भण्डारण कर बेचने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मौरावा पुलिस द्वारा अवैध आतिशबाजी भण्डारण कर बेचने वाले अभियुक्त को 08 कुंटल अवैध आतिशबाजी के साथ गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 17.10.2024 को उ0नि0 इन्द्रपाल सिंह मय हमराह पुलिस फोर्स द्वारा अभियुक्त सचिन मिश्रा पुत्र वीरेन्द्र कुमार मिश्रा उर्फ पुतिया मिश्रा निवासी मोहल्ला पटकी टोला कस्बा व थाना मौरावाँ जनपद उन्नाव के कब्जे से 02 गत्ता में चोको पटाखा 48 पीस, 16 बोरी में सफेद पेपर लगे सीको पटाखा प्रत्येक बोरी में 400 गड्डी, 03 बोरी में लाल रंग के पटाखे प्रत्येक बोरी में 3 हजार पटाखा, 05 बोरी में अनार बारूद भरा हुआ प्रत्येक बोरी में 300 अनार, 02 गत्ते में लाल रंग के छोटे पटाखे प्रत्येक गत्ते में 20 कार्टून, 02 गत्ते मैजिग कलर शार्ट पटाखा प्रत्येक में 48-48 बाक्स, 05 गत्ते मैजिग पेपर शार्ट पटाखा, 02 गत्ते में टाइगर रोल कैप्स पटाखा प्रत्येक में 80-80 पैकेट, 02 गत्ते में छोटी लाइट पटाखा प्रत्येक में 50-50 पैकेट, 01 गत्ते में माचिस पटाखा 48 पैकेट, कुल लगभग 08 कुन्तल विस्फोटक बरामद कर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मौरावाँ पर मु0अ0सं0 513/2024 धारा 9 ख विस्फोटक अधिनियम 1984 पंजीकृत किया गया।

बरामदगी - विस्फोटक पदार्थ 02 गत्ता में चोको पटाखा 48 पीस, 16 बोरी में सफेद पेपर लगे सीको पटाखा प्रत्येक बोरी में 400 गड्डी, 03 बोरी में लाल रंग के पटाखे प्रत्येक बोरी में 3 हजार पटाखा, 05 बोरी में अनार बारूद भरा हुआ प्रत्येक बोरी में 300 अनार, 02 गत्ते में लाल रंग के छोटे पटाखे प्रत्येक गत्ते में 20 कार्टून, 02 गत्ते मैजिग कलर शार्ट पटाखा प्रत्येक में 48-48 बाक्स, 05 गत्ते मैजिग पेपर शार्ट पटाखा, 02 गत्ते में टाइगर रोल कैप्स पटाखा प्रत्येक में 80-80 पैकेट, 02 गत्ते में छोटी लाइट पटाखा प्रत्येक में 50-50 पैकेट, 01 गत्ते में माचिस पटाखा 48 पैकेट, कुल 08 कुन्तल विस्फोटक सामग्री बरामद।

अभियुक्त का विवरण-

सचिन मिश्रा पुत्र वीरेन्द्र कुमार मिश्रा उर्फ पुतिया मिश्रा निवासी मोहल्ला पटकी टोला कस्बा व थाना
मौरावाँ जनपद उन्नाव

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. व०उ०नि० इन्द्रपाल सिंह
2. उ०नि० श्री अबू मो० कासिम
3. मुख्य आरक्षी सुरेन्द्र कुमार
4. मुख्य आरक्षी अखिलेश कुमार
5. आरक्षी जितेन्द्र कुमार
6. आरक्षी पवन कुमार
7. आरक्षी दीपेन्द्र कुमार
8. म०का० जोनिका





प्रेस नोट दिनांक 17.10.2024

थाना बीघापुर, जनपद उन्नाव

01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बीघापुर पुलिस द्वारा 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 17.10.2024 को उ0नि0 श्री रामकरन सिंह मय हमराह पुलिस फोर्स द्वारा अभियुक्त बऊआ उर्फ गुड्डन पुत्र इन्द्रबहादुर सिंह निवासी ग्राम कोइहरा थाना लालगंज जिला रायबरेली उम्र करीब 24 वर्ष के कब्जे से अवैध 1 किलो 100 ग्राम नाजायज गांजा बरामद कर चौरसियानगर तिराहा बहदग्राम बेहटा भवानी से गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना बीघापुर द्वारा मु0अ0सं0 208/24 धारा 8/20 NDPS ACT पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

बऊआ उर्फ गुड्डन पुत्र इन्द्रबहादुर सिंह निवासी ग्राम कोइहरा थाना लालगंज जिला रायबरेली उम्र करीब 24 वर्ष

बरामदगी का विवरण

1 किलो 100 ग्राम नाजायज गांजा

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 231/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अचलगंज
2. मु0अ0सं0 99/17 धारा 379, 411 भादवि थाना बिहार
3. मु0अ0सं0 122/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
4. मु0अ0सं0 34/17 धारा 379/411 भादवि कोतवाली रायबरेली
5. मु0अ0सं0 116/17 धारा 379/411 भादवि कोतवाली रायबरेली
6. मु0अ0सं0 160/17 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली रायबरेली
7. मु0अ0सं0 943/19 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली रायबरेली
8. मु0अ0सं0 946/19 धारा 411, 413, 414, 419, 420 भादवि थाना कोतवाली रायबरेली
9. मु0अ0सं0 950/19 धारा 379/411 भादवि कोतवाली रायबरेली
10. मु0अ0सं0 100/17 धारा 379/411 भादवि थाना लालगंज रायबरेली
11. मु0अ0सं0 101/17 धारा 102, 379, 41, 411, 420 भादवि थाना लालगंज रायबरेली

गिरफ्तारी करने वाली टीम

- 1.उ0नि0 श्री रामकरन सिंह
- 2.का0 संजय यादव
- 3.का0 संदीप सिंह

